राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–2/ 2014/10858 दिनांक : 5.1.14

विज्ञापन संख्या : 01/संस्था.–2/2014

निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्नानुसार 'ऑनलाइन' आवेदन–पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं :–

पद का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या	रनिंग पे बैण्ड (ग्रेड पे)	श्रेणीवार रिक्तियों का संख्यात्मक विवरण				
			अनु. जाति	अनु.जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	विकलांग
प्रबन्धक, अतिथि गृह	01	9300–34800 (4800)	—	—	—	01	—
स्टेनो ग्रेड–2 (अंग्रेजी)	06	9300–34800 (3600)	01	01	01	03	—
कनिष्ठ लिपिक	94	5200–20200 (2400)	15	11	19	49	03

नोट : **पदों की संख्या में कमी एवं बढ़ोतरी का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**

1. निर्धारित ऑनलाइन आवेदन–पत्र, पात्रता, योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण विश्वविद्यालय वेबसाइट ***http:/www.uniraj.ac.in*** व ***www.univraj.org*** से दिनांक 06–01–2014 से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र भरा जाएगा।
3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 06–02–2014 तक है, जिनकी मुद्रित (printed) हार्डकॉपी जमा कराए जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 08–02–2014 है, जो कि रिकॉर्ड शाखा, कमरा नं. 205, सरदार पटेल भवन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में जमा कराए जाएँगे। उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र अस्वीकार्य/ निरस्तनीय होंगे।
4. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति में निर्दिष्ट नियमों के अनुरूप आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जावेगा।
5. आवेदन शुल्क के रूप में आवेदक को रु. 1000/– (अनु.जाति/ अनु. जनजाति का आवेदक होने की स्थिति में रु. 500/–) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पक्ष में जयपुर में देय होगा, जमा कराना होगा। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। **राजस्थान राज्य से बाहर के समस्त आवेदक, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माने जाएँगे।**
6. आवेदक की न्यूनतम आयु, दिनांक 01–01–2014 को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त पद हेतु चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय नियम O.359-A के अधीन रहेगी।
8. निर्धारित प्रपत्र से हटकर अथवा अन्तिम तिथि पश्चात् अथवा अपूर्ण आवेदन–पत्र, अस्वीकार्य/ निरस्तनीय होंगे।

9. उक्त पद पर भर्ती के लिए छँटनी (short listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने अथवा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।

10. समस्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों, यथा– शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि सम्बन्धी दस्तावेज़ों की समुचित पठनीय फोटोकॉपी, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अन्तिम तिथि पश्चात् प्राप्त दस्तावेज़ स्वीकार्य नहीं होंगे।

11. उक्त पद हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी प्रक्रम पर, यहाँ तक कि नियुक्ति–पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/ जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र–व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।

12. किसी प्रकार के डाक विलम्ब तथा साक्षात्कार के आयोजन एवं परिणाम एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्र–व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का निरीक्षण करें।

13. ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या, आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी के साथ संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या से पूर्णतया मेल खानी चाहिए, अन्यथा आवेदन–पत्र अस्वीकार/ निरस्त कर दिया जाएगा।

14. उक्त पद हेतु नियुक्तियाँ दो वर्ष के परिवीक्षाकालाधीन रहेंगी एवं परिवीक्षा काल की अवधि में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप पारिश्रमिक देय होगा।

15. उक्त पदों हेतु वर्तमान में प्रथम दो वर्ष में देय मासिक फिक्स वेतन निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद का नाम	**न्यूनतम मासिक फिक्स वेतन (रुपए)**
1.	प्रबन्धक, अतिथि गृह	रु. 15,000/–
2.	स्टेनो ग्रेड–2 (अंग्रेजी)	रु. 10,000/–
3.	कनिष्ठ लिपिक	रु. 7,900/–

16. सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक को नियमानुसार वेतन शृंखला का न्यूनतम वेतन देय होगा। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु उक्त परिवीक्षाधीन (प्रशिक्षु) अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

17. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। अन्य पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

18. केवलमात्र आवेदन किया जाना आवेदक को सम्बन्धित पद हेतु संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित करने की पात्रता नहीं माना जाएगा।

19. विश्वविद्यालय के नियमानुसार, निर्दिष्ट तिथि तक जीवित सन्तानों की संख्या की बाध्यता सम्बन्धी नियम लागू होंगे।
20. राजस्थान सरकार के द्वारा प्रचलित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान विश्वविद्यालय में लागू होंगे।
21. अंशदायी पेन्शन योजना, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय में उक्त नियुक्तियों हेतु लागू रहेगी।
22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के समय–समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान उक्त नियुक्तियों पर लागू होंगे।
23. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी, नियत तिथि के भीतर आवेदन–पत्र के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

(ओम प्रकाश गुप्ता)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था–2/ 2013/10550-950 दिनांक : ....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप–खण्ड रोज़गार अधिकारी, जलेब चौक, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य/ प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक/ अशैक्षणिक विभाग/ इकाई, रा.वि.वि., जयपुर।
6. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापन एवं पात्रता/ योग्यता सम्बन्धी विवरण को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
11. निजी सचिव–कुलपति/ कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(ओम प्रकाश गुप्ता)
कुलसचिव